



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र



सेवा से

पत्र/पत्र - ५५८/RTE/1147

दिनांक - 06/06/22

अधिकारी / अधिकारीकारी / प्रबंधक

GODAWARI DEVI RAMCHANDRA PRASAD SARASWATI VIDYA MANDIR

WARD NO. 02, PURANI BAZAR, NARKATIAGANJ WEST CHAMPARAN BIHAR

विषय - बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education - RTE), 2009 की आरा 13 के प्रयोगनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपरोक्तम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 23-05-2021 और उसके बाद में आपसे किए गए प्रत्यावार एवं विद्यालय के किए गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय नियमावली प्रतिनिधि के बैठक दिनांक 0 में किए गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय GODAWARI DEVI RAMCHANDRA PRASAD SARASWATI VIDYA MANDIR, WARD NO. 02, PURANI BAZAR, NARKATIAGANJ WEST CHAMPARAN BIHAR, NARKATIAGANJ, 245455 को कक्षा 1 से 8 तक संवालन द्वारा तीन वर्षों 0 से 23-9-2024 तक विद्यालय के लिए अधिकारीक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदान प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के आधीन होगी।

- प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति द्वारा कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर यात्रा नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक स्पष्ट सुनिश्चित करें।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ीस के कम्बोड़ इर्दे एवं अलाभकारी संघरू के बच्चों का करेंगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेंगा, परन्तु यह कि लिए विद्यालय में सूत्र प्रारंभिक कक्षाओं का संकालन हो रहा है, तो इस बाबक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कक्षांक 3 में उद्घाट बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की आरा 12 की उपचारा 2 के आलोक में निश्चीरित राशि की प्रतिपूति की जाएगी। प्रतिपूति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रश्न से बैक खाता का संधारण करेंगा।
- सोसाईटी / विद्यालय के हारा किसी प्रकार का कैपिटेलन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे उसके माता-पिता या अधिकारी का स्वीकृति टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकला जाएगा।
- (i) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शासीरिक ढंग नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक स्पष्ट से प्रताङ्कित नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा लो नियम 22 के आलोक से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (iv) अधिनियम के प्रारंभालों के आलोक से द्वितीय बच्चों का सम्बोधन किया जाएगा।
- (v) शिक्षाकारी का नियोजन अधिनियम की आरा 23 की उपचारा 1 में उनके लिए निश्चीरित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (vi) शिक्षक अधिनियम की आरा 24 की उपचारा 1 में शावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (vii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की लिखित गतिविधि में सहभाग नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा सर्व उच्च कानून द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवर्ती का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानी के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुमतिक स्पष्ट होने का वार्ताकरण करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्घृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकारार रखेगा। विद्यालय के अनिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निकाल-
- (i) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 6480sqm डिस्पेल
  - (ii) कुल निवित धेर :- 6480sqm डिस्पेल
  - (iii) खेल के मैदान के क्षेत्र :- drinking water, play ground, cycle & stick stand, toilet, fire cylinder, CCTV, ELECTRICITY MACHINE
  - (iv) वार्षिक कहाँ की कुल जरूरत :- 27
  - (v) प्रशान्नाश्चायक-सह वार्षिक जरूरत कम्प :- 2
  - (vi) वालक तथा वालिकाओं के लिये अलग-अलग शैक्षालय :- Indian , Boys :- 16 , Girls 16
  - (vii) पेचाल की सुविधा :- 50
  - (viii) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
  - (ix) वाधारीकृत मर्माण [ ] :-
  - (x) शिक्षान अधिगम सामग्री खेल-कुह उपकरण युक्तकात्तम :- GREEN BOARD-30 DUSTER - 50 COMPUTER - 30 HINDI CHART -10 ENGLISH CHART - 10 MAP - 10 GLOB - 01 MATHS SET -01 PROJECTOR - 01 , FOOTBALL - 08 VOLLEY BALL - 08 CRICKET BAT - 15 RACKET - 15 HOCKEY STICK - 40 HOCKY BALL - 20 CRICKET BALL -15 DISCUSS THROUGH - 04 SPIKING - 25 CARDOM BOARD - 04 VOLLEY BALL NET - 02 BADMINTON - 10 BADMINTTON - 01 , ( Y , 998 , NewsPaper Magazine:- 300 )
11. कोई भी अपमानीकृत वर्ग का विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संबंधित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अपवा वैदान का उपयोग के बहुत विकास तथा विकास के लिए होंगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निवासित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लालू काल्यन के तहत विभिन्न प्रक्रिया द्रुट के माध्यम से संबंधित होंगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ अपवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संबंधित नहीं होगा।
15. लेखा का अकेलगम एवं उसका प्राप्ताधीकरण वार्टर्स एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निवासित नियमों के आलोक में उपर्युक्त तेला विवरणी तेला की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष विद्या विकास व्यवधान की भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवृत्ति प्रभवीकृति कोड जरूरत : 20310172021923145140, 2021 ] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्राप्ताधार करने से इस कोड को अविवादित रूप उद्धृत किया जाए।
17. निवेशक, पार्श्वाधिक विकास / विद्या विकास व्यवधानों के द्वारा समय-समय "मौग लिया गए प्रारंभिक एवं वृद्धनारे, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के सरकार से प्रस्तुतीकृती वी वार्ता के तगातान रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संवालन से संबंधित कठिनाईयों को द्रुत करने हेतु समय-समय पर निर्भात अनुदेशी का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निवासित के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुसंधान ( ) के रूप में संलग्न अन्य वार्ता

  
 विद्यालय  
 विद्या विभाग प्राधिकारी, WEST CHAMPARAN  
 विद्या विभाग, बिहार सरकार